संख्या–1/3/96–का–4–2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांकः 13 जुलाई, 2012

विषयः–सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 22.3.2012 एवं दिनांक 22.5.2012 के क्रम में शासन द्वारा लिये गये इस निर्णय से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2012–2013 में, स्थानान्तरण नीति दिनांक 22.3.2012 एवं दिनांक 22.5.2012 के प्राविधानों से आच्छादित होने वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण दिनांक 31.7.2012 तक किये जा सकेंगे । तदानुसार स्थानान्तरण नीति दिनांक 22.3.2012 के प्रस्तर–8 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । स्थानान्तरण नीति के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे ।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–1/3/96(1)–का–4–2012, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण ।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–18 सा० नियुक्ति–16.7.2012–(2222)–3002 (आफसेट)।